राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	नाम अधिवक्ता
1.	4277 / 2024	राय सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Bhukarka, जिला हनुमानगढ।	श्री संदीप कलवानियां।
2.	4120 / 2024	एकता मीणा	1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, चित्तौडगढ।	श्री सुधीर गुप्ता
3.	4278 / 2024	शंकर लाल	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, 25 JSN, जसाना, ब्लॉक नोहर, जिला हनुमानगढ।	श्री संदीप कलवानियां
4.	4279 / 2024	शेर सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, 25 JSN, जसाना, ब्लॉक नोहर, जिला हनुमानगढ।	श्री संदीप कलवानियां
5.	4280 / 2024	कुन्दन लाल	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, भुकरका, जिला हनुमानगढ।	श्री संदीप कलवानियां
6.	4282 / 2024	आकाश यादव	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, कोटपूतली–बहरोड। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड।	श्री संदीप कलवानियां

7.	4302/2024	प्रेम सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, डीग। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कुम्हा, ब्लॉक कुम्हेर, जिला डीग।	श्री गिरिराज राजोरिया
8.	4365/2024	संजय कुमार तिमन	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सैपऊ, जिला धौलपुर।	श्री गिरिराज राजोरिया
9.	4366/2024	दौलत राम	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, खेडली, जिला धौलपुर।	श्री गिरिराज राजोरिया
10.	4380/2024	गिरवर सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, चूरू। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, हरिया देवी दुधवाखारा, तहसील चूरू, जिला चूरू। 5. सुनिता, प्री प्राईमरी टीचर, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, हरिया देवी दुधवाखारा, तहसील चूरू, जिला चूरू।	श्री अजय स्वामी
11.	4381/2024	गंगाधर	1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, चूरू। 3. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, हमीरवास बाडा ब्लॉक राजगढ, जिला चूरू।	वर्षा बिस्सा
12.	4382/2024	संदीप	1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, चूरू। 3. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, रामपुरा, ब्लॉक राजगढ, जिला चूरू।	वर्षा बिस्सा

13.	4476 / 2024	पुष्कर सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, भरतपुर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नदबई, जिला धौलपुर।	श्री गिरिराज राजोरिया
14.	4483 / 2024	योगेश कुमार	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, कोटपूतली–बेहरोड। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, निमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड।	श्री संदीप कलवानियां
15.	4496 / 2024	नम्रता भट्ट	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बांसवाडा । 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Aanjana, Block Arthuna, बांसवाडा।	श्री गिरिराज राजोरिया
16.	4566 / 2024	शेर सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, चूरू। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, ददरेवा, ब्लॉक राजगढ, जिला चूरू।	श्री संदीप कलवानियां
17.	4569 / 2024	राजवीर	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ । 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नेथराना, ब्लॉक भादरा, जिला हनुमानगढ।	श्री संदीप कलवानियां
18.	4573 / 2024	हेमन्त कुमार चौधरी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)	श्री संदीप कलवानियां

			माध्यमिक शिक्षा, डीडवाना–कुचामन। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मिण्डा, ब्लॉक नावां, जिला डीडवाना–कुचामन।	
19.	4589/2024	प्रकाश चन्द	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आरडी 931, बज्जू खांलसा, ब्लॉक बज्जू खालसा, जिला बीकानेर।	श्री गिरिराज राजोरिया
20.	4590/2024	प्रविता	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आरडी 931, बज्जू खांलसा, ब्लॉक बज्जू खालसा, जिला बीकानेर।	श्री गिरिराज राजोरिया
21.	4592/2024	आनन्द सिंह चौहान	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बाडमेर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गुढामालानी, बाडमेर।	श्री गिरिराज राजोरिया
22.	67/2025	रफीक खान	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, धोलपुर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, खेडली, ब्लॉक राजाखेडा, जिला धोलपुर।	श्री गिरिराज राजोरिया
23.	74/2025	अनिल कुमार	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, छोकरवाडा, ब्लॉक भूसावर, जिला भरतपुर।	श्री गिरिराज राजोरिया
24.	94/2025	सीमा सैनी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय,	श्री संदीप

			जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, दौसा। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, खोरापाडा, ब्लॉक लालसोट, जिला दौसा।	कलवानियां

आदेश की दिनांक : 20.01.2025

उपस्थिति :–
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में चुनौती का आधार समान है। अतः सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 4277/2024 राय सिंह बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये है कि आदेश दिनांक 08.12.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का साक्षात्कार एवं चयनोपरांत महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन किया गया था एवं अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–तृतीय लेवल–प्रथम के रूप में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Mahalbas, Bhukarka में पदस्थापित किया गया था। इसके पश्चात से अपीलार्थी इसी विद्यालय में पदस्थापित था। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आगे यह तथ्य अंकित किये है कि आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष अध्यापक मानते हुए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, महलवास Bhukarka से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, 2 एमडी में स्थानान्तरित कर समायोजित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी को जब वर्ष 2022 में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित किया गया था तब अपीलार्थी को उसके द्वारा ईच्छित विद्यालय में पदस्थापित किया गया था। चूंकि अपीलार्थी का उसके आवेदन पर विशिष्ट विद्यालय के लिये चयन किया गया था तो उसका अन्य महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क

रहा है कि अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष घोषित कर समायोजित किया गया है। विकल्प में अपीलार्थी ने यह भी प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को यदि उसी महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नहीं रखा जा सकता था तो उसे अन्य महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित नहीं करके राजकीय हिन्दी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। उपरोक्त तर्को के आधार पर अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 07.12.2024 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। यह भी प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को जब तक राजकीय हिन्दी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित नहीं किया जाता है तब तक उसे वर्तमान पदस्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पदस्थापित रखा जाए।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 23.01.2022 के द्वारा महात्मा गांधी विद्यालयों हेतु कैडर विदईन कैडर (Cadre Within Cadre) का निर्माण किया गया है। इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभाग में पूर्व से हिन्दी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का साक्षात्कार/विशेष चयन परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाकर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन किया जाता है तथा अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के नियम संख्या 14(6) के अनुसार इन्हें अंग्रेजी माध्यम से अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है तथा चयन अवधि पूर्ण होने अथवा अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी पर इन चयनित कार्मिकों को पुनः अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से आवश्यकता अनुसार पुनः हिन्दी माध्यम/अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापित किया जा सकता है। अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के सन्दर्भित नियमों को निम्न प्रकार परिभाषित/उल्लेखित किया गया है :–

> 14. Other conditions of service. (1) Personnel shall be posted after selection to the post enumerated in Schedule-I generally for a period of one year which shall be extendible by a process specified by the Director after review of the performance of the services rendered. The Appointing Authority shall have right of relieving a personnel for office of the previous Appointing Authority before completion of the such service duration without assigning any reasons. The Appointing Authority other than the Director shall seek approval from the Director before such action.
>
> (6) The personnel working in the English Medium Schools may be posted/transferred to any other English Medium Schools across the state according to their post/subject. The original seniority of the

candidate concerned shall remain unaffected due to the said change in posting.

5. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि उक्त नियमों के अनुसरण में ही अपीलार्थी को प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार जिले के निकटस्थ ब्लॉक में ही स्वीकृत पद पर पदस्थापित किया गया है, जिसके विरूद्व अपीलार्थी माननीय अधिकरण से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। यह भी अंकित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा 958 राजकीय महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम)– विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक बाल वाटिकाएं संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11.10.2022 के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर उक्त विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन हेतु अध्यापक लेवल–1 के शिक्षकों को साक्षात्कार के माध्यम से चयनित कर लगाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में ही प्रत्यर्थी विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 18.10.2022 द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गये एवं अपीलार्थी कार्मिक को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया। इसके उपरांत निदेशक, समेकित बाल विकास विभाग (ICDS) के अधीन कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022–2023 के बिंदू संख्या 230 एवं राज्य सरकार के पत्रांक :–प.4(15)शिक्षा–1/बाल वाटिका/2022 जयपुर दिनांक 24.11.2022 की पालना में निदेशक, समेकित बाल विकास विभाग, जयपुर से शिक्षा विभाग के अधीन महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) में संचालित बाल वाटिका में समायोजन के निर्देश प्रदान किये गये तथा प्राप्त निर्देशों के क्रम में समेकित बाल विकास विभाग (ICDS) से समायोजित उक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को ऐसे महात्मा गांधी विद्यालयों में पदस्थापित किया गया जहाँ पूर्व प्राथमिक बाल वाटिकाएं (Pre Primary Classes) संचालित है। अपीलार्थी अध्यापक लेवल–1 है तथा अपीलार्थी कार्मिक की योग्यता बीएसटीसी (B.S.T.C.) है जो कि कक्षा 1 से कक्षा 5 (प्राथमिक कक्षाओं) को अध्ययन–अध्यापन करवाये जाने की योग्यता है जबकी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक हेतु आवश्यक योग्यता एन०टी०टी० (N.T.T.) है जो कि निदेशक, समेकित बाल विकास विभाग (ICDS) से प्रत्यर्थी विभाग में समायोजित कार्मिक के पास उपलब्ध है तथा अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापन स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भूकरका, ब्लॉक नोहर जिला हनुमानगढ में वर्तमान में दो एन०टी०टी० (N.T.T.) योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कार्मिक उक्त विद्यालय में अधिशेष है। इसलिए ही आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 के

द्वारा अपीलार्थी कार्मिक को अधिशेष होने के कारण अन्य विद्यालय में आवश्यकता अनुसार पदस्थापित किया गया है।

6. हमने दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. हम पाते हैं कि अपीलार्थी की चयन प्रक्रिया अपनाकर महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई थी। अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–तृतीय के रूप में पदस्थापित किया गया। महात्मा गांधी विद्यालयों हेतु शिक्षकों के लिये एक पृथक से कैडर का निर्माण किया गया है, जिस कैडर के स्थापित होने के पश्चात सेवाशर्तो हेतु The Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of Personnel in the English Medium Schools) Rules, 2023 नियम बनाये गये है। उक्त नियम के नियम 14(6) में प्रावधान है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों का स्थानान्तरण दूसरे अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में किया जा सकता है। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का इन्हीं नियमों के तहत स्थानान्तरण किया गया हैं। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी एक बार अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के कैडर में पदस्थापित हो चुका है तो उसे हिन्दी माध्यम विद्यालय में प्रतिवर्तन किया जा सकता है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रतिवर्तन के लिये कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी को वर्तमान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में इस आधार पर अधिशेष घोषित किया गया है कि अपीलार्थी बालवाटिका में पदस्थापित है। अपीलार्थी बीएसटीसी योग्यताधारी है, जो प्राथमिक कक्षाओं को अध्यापन कराने की योग्यता रखते हैं, जबकि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को अध्यापन करवाये जाने हेतु NTTA योग्यताधारी शिक्षक को प्राथमिकता दी जाती है। अपीलार्थी वर्तमान में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षक का कार्य कर रहा है। योग्यताधारी एनटीटी शिक्षकों का पदस्थापन वर्तमान विद्यालयों में हो जाने के कारण अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किया गया है। हम पाते है कि अपीलार्थी चूंकि बालवाटिका में अध्यापन हेतु निर्धारित योग्यता नहीं रखता है। ऐसे में अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। वर्तमान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अपीलार्थी अधिशेष घोषित होता है तो उसे नियमानुसार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में ही पदस्थापित किया जा सकता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी प्रतिवर्तन के द्वारा पुनः राजकीय हिन्दी माध्यम विद्यालय में जाना चाहता था। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी ने ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है कि अपीलार्थी ने

अपने कैडर से प्रतिवर्तन हेतु विकल्प/आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो। ऐसे में अपीलार्थी का वर्तमान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय से अन्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में स्थानान्तरण किये जाने में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं।

8. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी यदि भविष्य में राजकीय हिन्दी माध्यम विद्यालय में जाने हेतु प्रतिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिये अपना विकल्प/आवेदन पत्र प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर समस्त अपीलें खारिज की जाती है।

9. यहां यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर राजस्थान द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र दिनांक 26.04.2023 जारी किया गया है, जिसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में साक्षात्कार से पदस्थापित कर्मचारियों के प्रतिवर्तन आवेदन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं, जिसमें समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये थे कि वे अपने परिक्षेत्र में शामिल महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय/स्वामी विवेकानन्द राजकीय आदर्श विद्यालय में पदस्थापित प्रतिवर्तन के इच्छुक कार्मिक से विकल्प/आवेदन प्राप्त कर दिनांक 05.05.2023 तक भिजवाने का श्रम करें ताकि प्रतिवर्तन से होने वाली भावी रिक्तियों को भी नयी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। स्पष्ट है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा समायोजन की प्रक्रिया के समय प्रतिवर्तन हेतु विकल्प लिये जाने का भी प्रावधान रखा गया था। उपरोक्त पत्र को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अपीलार्थी अधिशेष होने के उपरान्त अपना प्रतिवर्तन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से हिन्दी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन चाहता है तो इस हेतु उक्त पत्र दिनांक 26.04.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपना विकल्प/आवेदन पत्र प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अपीलार्थी द्वारा अपना प्रतिवर्तन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

10. इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 4277/2024 में एवं छायाप्रति अन्य अपीलों में संलग्न की जायें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)